

## फर्द अहकाम

उपरखण्ड न्यायाधीश्यालय जयपुर

बनाम यु. वल्लभ

ज्या / वर्ष : 36 / 20 20

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

अतः वाद श्री वल्लभ को रोकने व वाद श्री विषय - वस्तु को बन्द रखने के लिए प्रा. पत्र के अन्तर्गत (अ. 2) में उल्लिखित सूत्रि पर उम्पत्तों को ताईलक्षणद मोडो श्री यथास्थित अनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली के लिये  
शुगर होकर दर्ज नम्बर ले ७३  
है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकरू (जयपुर)